कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 159 / 10–परीक्षा / रा.नि.मु.प. / 2017 ग्वालियर,दिनांक 19.1.17

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषयः–राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 के फार्म, अनुदेश एंव परीक्षा कार्यक्रम भेजने बाबत्। ।

राजस्व निरीक्षक व्यापम परीक्षा वर्ष 2015 में चयनित उम्मीदवार, जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर / राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में दिनांक 01 जून 2016 से प्रशिक्षणरत हैं, की राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग–2 अध्याय–8 की कण्डिका–14 के अनुसार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर / राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में दिनांक 20.2.2017 से प्रारंभ होगी । जिसका परीक्षा कार्यक्रम एंव अनुदेश संबंधितों को सूचित करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है ।

2– **निम्नांकित अनियमित उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैः–**

(1) राजस्व निरीक्षक वार्षिक परीक्षा वर्ष 2000 एवं इससे पूर्व की राजस्व निरीक्षक वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

(2) 6 माह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त / परीक्षा अनुत्तीर्ण पटवारी / अनुरेखक परीक्षार्थी जिन्हे पूर्व मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नही किया गया है।

(3) अनु0जाति / जनजाति के उम्मीदवारों की राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष 2007 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

(4) राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष–2010 प्रथम / द्वितीय सत्र एवं वर्ष 2011 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

3– उपरोक्त उम्मीदवार राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 में सम्मिलित होना चाहते है, अपना आवेदन पत्र ,चालान की मूल प्रति, पदस्थ कार्यालय के माध्यम से कार्यालय उप प्राचार्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर / प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर की ओर सीधे दिनांक 31.01.2017 तक अनिवार्य रूप से भिजवायें । दिनांक. 31.01.2017 के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों की लिखित सूचना संबंधित को एंव संबंधित कार्यालय में नहीं दी जावेगी । उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें । इसलिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे।

4– म0प्र0 भू–अभिलेख नियमावली भाग–2 के अध्याय–8 की कण्डिका– 24 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा शुल्क प्रति विषय 3 रूपये किन्तु फीस 10 रूपये से अधिक नहीं जमा करना होगी । परीक्षा शुल्क चालान द्वारा शीर्ष '0029 भू–राजस्व छः अन्य प्राप्तियां" के अन्तर्गत जमा कराकर चालान की मूल प्रति अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

5– राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर/राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी अपना परीक्षा शुल्क चालान द्वारा जमा कर परीक्षा आवेदन पत्र केन्द्र राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर/राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में प्रस्तुत करें ।

6– म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–14/1/85/सात/5 दिनांक 12.11.87 के अनुसार सीधी भर्ती के राजस्व निरीक्षकों की भांति विभागीय उम्मीदवारों को भी राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 4 अवसर प्रदान किये गये है, अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 5 अवसर प्रदाय किये गये है ।

7– अनियमित रूप से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों को निर्देशित करें कि वे अपना आवेदन पत्र में वर्तमान पदस्थ कार्यालय का नाम तथा पूर्व में किस किस रोल नम्बर से किन किन विषयों में किस केन्द्र से एंव किस वर्ष में राजस्व निरीक्षक वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए है, अंकित करना अनिवार्य है ,अस्पष्ट, अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर उनके आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी तथा न ही लिखित में पृथक से सूचित किया जावेगा ।

8– जिन उम्मीदवारों नें 6 माह का प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त किया है तथा जिनका चयन राजस्व निरीक्षक प्रा0परीक्षा वर्ष 2010 में हुआ है, उन्हें कार्यालय पत्र दिनांक 3.1.2011 द्वारा प्रशिक्षण/परीक्षा से मुक्त रखा गया है । लेकिन 6माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण पटवारी उम्मीदवारों को राजस्व निरीक्षक की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

9– ऐसे सभी अनियमित उम्मीदवारों को इस परीक्षा हेतु इस तरह भारमुक्त करें कि वे निर्धारित तिथि को परीक्षा केन्द्र राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर/राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में अपना अपना रोल नम्बर प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सके।

10– आवेदन पत्रों की जांच राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर /राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर में निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जावे:–

(1) अनियमित उम्मीदवार पूर्व में किस केन्द्र से किन वर्षो में किन–किन रोल नम्बर से किस विषय की परीक्षा में सम्मिलित हुए । परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म की गहन जांच करें ताकि जानकारी त्रुटिपूर्ण पायी जाने पर परीक्षा निरस्त की जावे । एवं संबंधित के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(2) फार्मो पर अभ्यार्थी के हस्ताक्षर है अथवा नहीं ? परीक्षण करें ।

(3) फार्मो की जांच उपरांत परीक्षार्थी की श्रेणीवार सूचियां निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर दो प्रतियों में हार्ड कांपी/सोप्ट कांपी (कृतिदेव फॉट में) टाइप कराकर इस कार्यालय की ओर भेजें । सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पश्चात्, पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के नाम क्रमशः लिखे जावे । आवेदन पत्र भी उसी क्रम में लगाकर सुरक्षित रखें जावें

(4) प्रायः यह देखा गया है कि अनियमित उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में पूर्व परीक्षा की जानकारी सही नहीं दर्शाते हैं । अतः जांच अधिकारी अनियमित उम्मीदवारों की सूची में उनका पूर्व का वर्ष,रोल नम्बर अंकित है कि नहीं इसकी अवश्य जांच करले । नियमित

तथा अनियमित उम्मीदवारों की पृथक–पृथक सूचियां दो प्रतियों में निम्नलिखित प्रारूप में अनिवार्य रूप से भेजी जावे ।

क0	रोल नम्बर	उम्मीदवार का नाम/पिता का नाम/तहसील व जिला	जाति संवर्ग सामान्य/पिछडा वर्ग/अ0जा0/अ0ज0जा0	विषय जिसमें सम्मिलित होना चाहता है	नियमित सत्र में उपस्थिति का प्रतिशत	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

11– उपस्थिति की गणना सत्र प्रारंभ दिनांक से की जाए ।

12– कृपया उपस्थिति पत्रक संलग्न भेजा जाए ।

13– उम्मीदवारों के रोल नम्बर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर/राजस्व नरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर, द्वारा ही जारी किये जावेगें ।

संलग्नः–परीक्षा कार्यक्रम,आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र का प्रारूप

आयुक्त
भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश,ग्वालियर

पृ0क्र0 159/10–परीक्षा/रा.नि.मु.प./2017 **ग्वालियर, दिनांक 19.1.17**
प्रतिलिपिः–

1– प्रबंधक (मानव संसाधन) नर्मदा हाइडोइलेक्टिक डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एच. आर. विंग,आर. एण्ड आर आफिस एन. वी. डी .ए. आफिस काम्पलेक्स खण्डवा की ओर सूचनार्थ । कृपया आपके यहां कोई उम्मीदवार इस परीक्षा की पात्रता रखता हो संबंधित को सूचित करने का कष्ट करें ।

2– उप–प्राचार्य राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3– प्राचार्य राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला **इन्दौर** की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– क्षैत्रीय उप आयुक्त भू–अभिलेख **ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, इन्दौर, सागर, रीवा, भोपाल** म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि आप निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भरवाकर संबंधित अधीक्षक भू–अभिलेख से परीक्षण कराकर भेजें ।

प्रायः यह देखा गया है कि आवेदन पत्र विना जांच किए ही अग्रेषित किये जाते है इसलिए फार्मो की जांच जांच अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त
भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश,ग्वालियर

कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा माह ...फरवरी... वर्ष 2017 का कार्यक्रम

कमांक	दिनांक	वार	विषय	समय
1	2	3	4	5
1	20–02–17	सोमवार	म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
2	21–02–17	मंगलवार	म0प्र0भू–अभिलेख नियमावली	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
3	22–02–17	बुधवार	तरतीब कागजात	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
4	23–02–17	गुरूवार	म0प्र0 भू–अभिलेख संबंधी अन्य अधिनियम	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
5	25–02–17	शनिवार	सर्वे सैद्धान्तिक एवं राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोबस्त)	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
6	27–02–17	सोमवार	कृषि एवं कृषि सांख्यिकी	प्रात 11.00 से 2.00 बजे तक समय 3.00 घण्टा
7	28–02–17	मंगलवार	भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण व्यवहारिक	प्रातः 10.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी। परीक्षार्थियों की संख्या के मान से परीक्षा तीन दिवस में कराये
	01–03–17	बुधवार	भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण व्यवहारिक	प्रातः 10.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी । परीक्षार्थियों की संख्या के मान से परीक्षा तीन दिवस में कराये
	02–03–17	गुरूवार	भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण व्यवहारिक	प्रातः 10.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी। परीक्षार्थियों की संख्या के मान से परीक्षा तीन दिवस में कराये
8	03–03–17	शुक्रवार	भू–मापन (व्यवहारिक) आधुनिक पद्वति **ETS)**से	प्रातः 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी ।
	04–03–17	शनिवार	भू–मापन (व्यवहारिक) आधुनिक पद्वति **ETS)**से	प्रातः 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी ।

	06—03—17	सोमवार	भू—मापन (व्यवहारिक) आधुनिक पद्वति **ETS)**से	प्रातः 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी ।
	07—03—17	मंगलवार	भू—मापन (व्यवहारिक) आधुनिक पद्वति **ETS)**से	प्रातः 8.00 से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी ।
9	08—03—17	बुधवार	सर्वे प्लाटिगं	प्रातः 10.00 से 11.30 बजे तक 1.30 घण्टा होगी । (दिनांक .... से .... को दी गयी परीक्षा की)
10	09—03—17	गुरूवार	सर्वे प्लाटिंग	प्रातः 10.00 से 11.30 बजे तक 1.30 घण्टा होगी । (दिनांक .... से .... को दी गयी परीक्षा की)

आयुक्त
भू—अभिलेख एंव बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश,ग्वालियर

कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त,मध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष–2017 में सम्मिलित हेतु आवेदन पत्र

नियमित/अनियमित जो लागू न हो काट दें ।

प्रमाणीकरण सहित फोटो चस्पा करें ।

1– नाम ....

2– पिता का नाम ....

3– जाति/वर्ग ....

4– वर्तमान पद ....

5– पदस्थ कार्यालय का नाम ....

6– निवास का पता, **स्थायी** ....
....
....

अस्थायी ....
....
....

8– क्या परीक्षा फीस जमा की गयी है ? यदि जमा की गयी हो तो दी गयी रकम चालान की मूल प्रति संलग्न कीजिए — दिनांक.................. चालान क्र........................ बैंक/कोषालय का नाम................................

9– यदि प्रशिक्षणार्थी अनियमित है तो विषयों के नाम जिनमें सम्मिलित होना चाहता है उल्लेख करें ।
1–..
2–..
3–..

10– अनियमित परीक्षार्थी कौन सी बार परीक्षा में बैठ रहा है ? ....

11– पूर्व राजस्व निरीक्षक परीक्षा में सम्मिलित होने का रोल नंबर, परीक्षा वर्ष एंव केन्द्र का नाम विषय सहित उल्लेख करें ।

रोल नंबर	**वर्ष**	**केन्द्र**	**विषय**
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

मेरे द्वारा अनुदेश के अनुसार फार्म का परीक्षण किया गया । सही पाया ।

उप प्राचार्य/प्राचार्य
रा.नि. प्रशिक्षण संस्थान/शाला
जिला————

प्रमाण–पत्र
(केवल नियमित प्रशिक्षणार्थियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार श्री.. आत्मज..ने राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण संस्थान/शाला जिला——————में उपस्थिति का निर्धारित प्रतिशत पूर्ण कर लिया है ।

दिनांक..........................

उप प्राचार्य/प्राचार्य
रा.नि प्रशिक्षण संस्थान/शाला
जिला——————

<u>घोषणा–पत्र</u>

(केवल अनियमित प्रशिक्षणार्थियों के लिए)

मैं .... पुत्र श्री...पदनाम.................. ....पदस्थी कार्यालय..घोषणा करता हूँ कि मैं राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा में पूर्व में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार होने के कारण चार बार से अधिक सम्मिलित नहीं हुआ हूँ/अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार होने के पांच बार से अधिक सम्मिलित नहीं हुआ हूँ । उक्त जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरे द्वारा दी जा रही राजस्व निरीक्षक परीक्षा कभी भी निरस्त कर दी जाकर मेरे विरूद्व कार्यवाही की जावे ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पद एंव पदस्थ कार्यालय
का नाम

<u>कार्यालय का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उम्मीदवार के संबंध में उल्लेखित उक्त जानकारी की जांच कर ली गई है जो सत्य पाई गई है ।

अग्रेषित कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं कार्यालय की पद मुद्रा

<u>कार्यालय आयुक्त भू–अभिलेख एंव बन्दोबस्त,मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा वर्ष– 2017

<u>प्रवेश–पत्र</u>

(अनुकमांक तथा दिनांक को छोडकर फार्म की सभी प्रविष्टियां उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपने हस्ताक्षर से भरी जाना चाहिए)

नियमित/अनियमित/(जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रमाणीकरण सहित फोटो चस्पा करें ।

1– परीक्षा केन्द्र ....

2– अनुकमांक ....

3– उम्मीदवार का नाम ....

4– पिता का नाम ....

5– परीक्षार्थी जिन विषयो में सम्मिलित होगा

1–..

2..

3..

4..

5..

6..

7..

8..

जिला.. को, जो कि विभागीय राजस्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा–2017 में सम्मिलित हो रहा/रही है, उसे उपरोक्त केन्द्र में उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।

दिनांक....................

उप प्राचार्य/प्राचार्य
रा.नि. प्रशिक्षण संस्थान/शाला
जिला–––––––––––

टिप्पणी :– उम्मीदवार को परीक्षा समाप्ति होने तक प्रवेश–पत्र अपने पास रखना चाहिए

कृपया परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करें ।